न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी – शक्तिसिंह भाटी, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 111/2010
दायर दिनांक – 17/02/2010
निर्णय दिनांक – 27/09/2017

अनवान

1. पन्नालाल पिता छोगा बलाई निवासी जीतावास, तह0– रेलमगरा

वादी

बनाम

1. छोगा पिता धुला बलाई निवासी जीतावास तहसील रेलमगरा
2. ज्ञानी पिता छोगा बलाई निवासी जीतावास हाल निवासी कुरज तहसील रेलमगरा
3. प्रेमी पिता छोगा बलाई निवासी जीतावास हाल निवासी कुरज तहसील रेलमगरा
4. हजारी पिता छोगा बलाई निवासी जीतावास तहसील रेलमगरा
5. माधु पिता छोगा बलाई निवासी जीतावास तहसील रेलमगरा
6. जमना पिता छोगा बलाई निवासी जीतावास तहसील रेलमगरा
7. सनोडी पिता छोगा बलाई निवासी जीतावास तहसील रेलमगरा
8. शान्ता बाई पत्नि हजारी बलाई निवासी जीतावास तहसील रेलमगरा
9. भगुबाई पत्नि माधु बलाई निवासी जीतावास तहसील रेलमगरा
10. पुष्पा बाई पत्नि जमनालाल बलाई निवासी जीतावास तहसील रेलमगरा
11. सुन्दर देवी पत्नि रतनलाल खटीक निवासी जीतावास तहसील रेलमगरा
12. ओंकार लाल पिता गंगाराम बलाई निवासी कुंवारिया तहसील राजसमन्द।
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा।

प्रतिवादीगण

वाद बाबत् खातेदारी अधिकारों की घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

: : निर्णय : :

वादी द्वारा जरिये अधिवक्ता वाद बाबत् खातेदारी अधिकारों की घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया कि ग्राम जीतावास के आराजी नम्बर 1599, 1600 कुल किता–02 कुल रकबा 03–19 बीघा भूमियां वादी एवं प्रतिवादीगण के पैतृक है जो स्व0 धुला पिता दल्ला बलाई से प्राप्त हुई। एवं आराजी संख्या 1168, 1269 कुल किता 2 कुल रकबा 04–09 बीघा वादी एवं प्रतिवादीगण के बारानी पैतृक भूमियां स्थित है। वाद पत्र की कलम संख्या एक में वर्णित भूमियों के अलावा अन्य भूमियों और धुलाजी से प्राप्त हुई किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ने भौप तलाई का कुडा

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

खेतनामी मोरया व खेत नामी तली काफी समय पूर्व विकय कर दिये थे। वाद पत्र कलम संख्या 2 में वर्णित भूमियां भी प्रतिवादी संख्या 1 को उत्तराधिकार में स्व0 हीरा से प्राप्त हुई। हीरा धुला के छोटे भाई थे तथा हीरा की मृत्यु संतान विहीन हो गई अर्थात हीरा के मृत्यु के समय हिन्दु उत्तराधिकार की प्रथम सूची में कोई वारिस नहीं होने से द्वितीय सूची में प्रतिवादी संख्या 1 को द्वितीय अनुसूची में वारिस होने से प्राप्त हुई इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त भूमियां पैतृक होकर उत्तराधिकार में प्राप्त हुई। वादी एवं प्रतिवादी गण के खानदान को सजरा वादपत्र में अंकित है। वाद पत्र की कलम संख्या 1 व 2 में वर्णित भूमियां वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दु संयुक्त अविभक्त भूमियां वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगायत 7 के संयुक्त खातेदारी व अधिपत्य की होने से वादी एवं प्रतिवादीगण का समान हिस्सा व हक है जब से वादी ने एवं प्रतिवादी संख्या 1, 4, 5 व 6 का समान हिस्सा था किन्तु हिन्दु उत्तराधिकार में संशोधन के जरिये प्रतिवादी संख्या 2, 3, 7 को भी समान हिस्सा प्राप्त हो चुका है ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि में वादी का 1/7 हिस्सा है क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1 ने भूमि नामी मोरयों व तली को मौरूसी भूमि को विकय कर दी है जिससे प्रतिवादी संख्या 1 को हिस्सा उसमें समायोजित हो चुका है जिससे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से लगायत 7 को समान हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 1 ने 2 विवाह किये है प्रथम विवाह की पत्नि से प्रतिवादी संख्या 2 से लगायत 7 तक उत्पन्न हुए है एवं दूसरी पत्नि से वादी उत्पन्न हुआ है। प्रतिवादी संख्या 1 प्रतिवादी संख्या 2 से लगायत 7 तक से मिला हुआ है एवं वादी को अपने हिस्से की खातेदारी भूमियों से वंचित करने के आशय से प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 3, 4, 5, 6 की पत्नियों के नाम पर अवैध व शून्य विकय पत्र निष्पादित किया जो दिनांक 10.07.2008 को वादग्रस्त भूमियों में से आ. चाह संख्या 410 खसरा संख्या 1599 व 1600 का सम्पूर्ण भाग विकय कर दिया एवं प्रतिवादी संख्या 8, 9, 10 के द्वारा अवैध विकय पत्र के आधार पर भूमियों के नामान्तरणकरण को अपने नाम पर कराने में उधत है इस प्रकार हिन्दु संयुक्त अविभक्त परिवार की खातेदारी की भूमियों को विकय की गई है जिसे न तो प्रतिवादी सख्या 1 को अधिकार है एवं न ही प्रतिवादी संख्या 8, 9, 10 को कय करने का अधिकार है उक्त विकय पत्र वादी के मुकाबले रद्द व शुन्य व बेअसर है। प्रतिवादी संख्या 1 ने ग्राम जीतावास की खसरा संख्या 1168 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा में से 13 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 11 सुन्दर को विकय की गई जिसमें प्रतिवादीयां सुन्दर को विशिष्ट पडोसों के मध्य की भूमि विकय की गई है विशिष्ट भूमि के पडोसों के मध्य की भूमि को विकय नहीं किया जा सकता है इस प्रकार विकय स्वतः शुरू से ही शून्य होता है एवं प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 11 के पक्ष में निष्पादित विकय पर भी प्रारम्भ से ही शून्य है (एब इनिशियों वोईड) क्योंकि वादग्रस्त आराज पैतृक होकर हिन्दु संयुक्त परिवार की भूमि है प्रतिवादी संख्या 1 अपने हिस्से की भूमियां पहले से ही विकय कर चुका है इस प्रकार वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 को कोई हिस्सा शेष नहीं रहता है प्रतिवादी

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

संख्या 1 अपने हिस्से से अधिक भाग की भूमि नहीं बेच सकता है एवं नही कोई व्यक्ति खरीद सकता है। वादग्रस्त भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 से लगायत 7 तक संयुक्त भूमि है। केवल मात्र राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर अंकित होने से प्रतिवादी संख्या 1 को विक्रय करने का कोई हक अधिकार उत्पन्न नहीं होते है। प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांक 25.06.2008 प्रतिवादीयां सुन्दरबाई एवं दिनांक 10.07.2008 को प्रतिवादी संख्या 8, 9, 10 के पक्ष में विक्रय पत्र पंजीयन करवाया तब वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को इंकार किया किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ने मानने से इंकार कर दिया व प्रतिवादी संख्या 1 ने धमकियां दी कि वह शेष भूमियों को भी विक्रय कर देगा व अपने नाम पर कोई भूमि नहीं रहेगी। इस प्रकार वादी को अपने खातेदारी अधिकारों से वंचित करने के आशय से प्रतिवादी संख्या 1 उधत है। जिसे स्थाई निषेधाज्ञा के जरिये रूकवाने हेतु वादी उक्त वाद पत्र प्रस्तुत कर रहा है। वाद ग्रस्त भूमियों में वादी का 1/7 हिस्सा है एवं प्रतिवादी संख्या 2 से लगायत 7 का प्रत्येक का 1/7 हिस्सा है। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 7 को वादग्रस्त भूमि में हिस्सा घोषित कराने के लिए कहा गया तो प्रतिवादिगण ने मना कर दिया क्योंकि प्रतिवादीगण आपस में मिले हुए है एवं दुरभी संधी है जिससे आराजी संख्या 1168, 1599, 1600 उनकी पत्नियों के नाम पर प्रतिवादी संख्या 1 ने विक्रय की जिसे वादी के लिए यह आवश्यक हो गया कि प्रतिवादी संख्या 2 से लगायत 7 को वादी के रूप में सम्मिलित बनाया व प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध उक्त वाद पत्र प्रस्तुत है राजस्व अभिलेख में भूमियों का अंकन प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर होने से वह भूमियों का विक्रय कर रहा है। वादी का वादग्रस्त भूमियों में 1/7 हिस्से की खातेदारी अधिकारों की भूमियां घोषित फरमाते हुए वादी के पक्ष में विभाजन की डिक्री भी प्रदान की जावें । भूमियों के विकास के लिए भूमियों का विभाजन करना आवश्यक है प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 2 से 7 साल तक की खातेदारी की घोषणा कराने से विभाजन करने से इंकार कर दिया जिससे वादग्रस्त भूमियों में वादी को प्राप्त होने वाली भूमि का विभाजन कराया जाकर वादी के नाम पर स्वतंत्र अंकन व आधिपत्य दिलाया जावें। वादग्रस्त भूमियों में वादी को स्वतंत्र हिस्से में प्राप्त होने वाली भूमि में प्रतिवादीगण किसी प्रकार का वादी के उपयोग उपभोग में बाधा, हस्तक्षेप अतिक्रमण नहीं करे इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्रदान की जावें। उक्त वाद में विभाजन की भी सहायता चाही गयी है जिससे प्रतिवादी संख्या 12 को भूमिधारक के रूप में आवश्यक पक्षकार बनाया गया है अन्यथा उसके विरूद्ध किसी प्रकार की सहायता नहीं चाही गई है। प्रतिवादी संख्या 8, 9, 10 के पक्ष में प्रतिवादी संख्या 1 ने वादपत्र की कलम संख्या 1 का सम्पूर्ण हिस्सा विक्रय कर दिया है जिससे प्रतिवादी संख्या 8, 9, 10 को किसी आपत्ति संभावनावश पक्षकार बनाया इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 ने आराजी संख्या 1168 में 13 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 11 को विक्रय कर दी जिससे उसे भी पक्षकार बनया है। वादीयां का वाद हेतु दिनांक 10.07.2008 को प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 8, 9, 10 के पक्ष में विक्रय पत्र

शाकि
सहायक कलेक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

निष्पादित किया एवं उसी दिन प्रतिवादी संख्या 11 के विक्रय की जानकारी हुई एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 11 ने वादी के हिस्से की भूमि देने, उसकी खातेदारी घोषणा करने, विभाजन करने एवं वादी के हिस्से की भूमि में जबरन कब्जा करने की धमकी दी एवं वादी ने इंकार किया तथा प्रतिवादीगण ने मानने से मना किया तब से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। वादग्रस्त भूमियों का विभाजन मिटस एण्ड बोण्ड्स पद्धति के आधार पर कराया जावें। अतः प्रार्थना है कि वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की घोषणा डिग्री प्रदान की जावें कि वादपत्र की कलम संख्या 1 व 2 में वर्णित भूमि में वादी के 1/7 हिस्से की खातेदारी अधिकारों की घोषणात्मक डिक्री की जावें। प्रतिवादी संख्या 1 का नाम राजस्व अभिलेख से विलोपित फरमाते हुए उसके हिस्से की भूमि पूर्व में किये गये विक्रय पत्र में समायोजित फरमायी जावे। वादी के पक्ष में प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 7 के मध्य विभाजन की डिक्री प्रदान की जावें वादी को स्वतंत्र अधिपत्य दिलाया जावें। वादी के हिस्से की स्वतंत्र अंकन व आधिपत्य में प्राप्त होने वाली भूमियों में वादी के उपयोग उपभोग में प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 11 किसी प्रकार की बाधा, हस्तक्षेप व अतिक्रमण नहीं करें इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्रदान की जावें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 से 11 द्वारा जरिये अधिवक्ता अपना जवाब प्रस्तुत किया गया कि वाद पत्र की कलम संख्या 1 के जवाब में ग्राम जीतावास तहसील रेलमगरा में भूमियां अवश्य स्थित है किन्तु उक्त भूमियां पैतृक हो इस सम्बन्ध में वादी स्वयं साबित करें।वाद पत्र की कलम संख्या 2 के जवाब में ग्राम जीतावास तहसील क्षेत्र रेलमगरा की भूमियां अवश्य स्थित है किन्तु उक्त भूमियां पैतृक हो इस सम्बन्ध में वादी स्वयं साबित करें। वाद पत्र की कलम संख्या 3 का विवरण जिस रूप में वर्णित किया गया है उस रूप में गलत होकर अस्वीकार है। प्रतिवादी संख्या 1 ने भोपतलाई का कुआ खेतनामी मोरया व खेतनामी तली अवश्य विक्रय किये किन्तु उक्त विक्रय पूर्णतः विधि अनुसार होकर पारिवारिक खर्चे संयुक्त परिवार के खर्चो के लिए कर्जा अदा करने हेतु विक्रय करना आवश्यक था। वाद पत्र की कलम संख्या 4 का विवरण वादी दस्तावेजी साक्ष्य से स्वयं साबिज करावें। वाद पत्र की कलम संख्या 5 का विवरण में सजरा अस्पष्ट होने से जवाब नहीं दिया जा सकता। वाद पत्र की कलम संख्या 6 का विवरण जिस रूप में वर्णित किया गया उस रूप में गलत होकर अस्वीकार है उक्त आधिपत्य की भुमियां प्रतिवादी संख्या 1 के एकल स्वामित्व आधिपत्य की होकर उसी को उपयोग उपभोग करने का पूर्ण अधिकार है क्यो कि संयुक्त बिन्दु अविभक्त परिवार के कर्ता पुरूष होने से संयुक्त परिवार की समस्त जिम्मदारीयों को लिए हुए है इस कारण जब तक परिवारिक बंटवारा या कर्जा का बंटवाडा नहीं किया जाता तब तक संयुक्त परिवार के समस्त कर्जों की अदायगी के लिए कर्ता पुरूष

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

पारिवारिक दायित्व निभाने के लिए भुमियों का विकय कर सकता है क्यो कि कर्जो की अदायगी कर्ता पुरूष की हेसियत से प्रतिवादी संख्या 1 पर ही निर्भर करती है इसलिए परिवार के किसी सदस्य को उक्त विकय के लिए कोई आपत्ति होती तो वक्त विकय एजराज किया जा सकता था। संयुक्त परिवार में प्रत्येक कार्य सभी परिवार के सदस्यों की जानकारी में होता है अर्थात वादी भी उक्त विकय के लिए मौन स्वीकृति दी थी जिससे संयुक्त परिवार में कर्ता पुरूष की ओर से किये गये विकय के बाद ही शेष सम्पति में पारिवारिक हिस्से अनुसार विभाजन किया जा सकता है एवं उसी अनुसार अपना हिस्सा घोषित करवाने का अधिकारी हो सकता है। वाद पत्र की कलम संख्या 7 के विवरण में जवाब में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा 2 विवाह किया जाना एवं उनसे सन्तान उत्पन्न होना स्वीकार है किन्तु संयुक्त परिवार में कर्ता पुरूष किसी भी एक सदस्य से मिली भगत नहीं करते है बल्कि सभी सदस्यों के विश्वास से ही व कर्ता पुरूष की हेसियत रखता है जिससे अगर प्रतिवादी संख 1 ने प्रतिवादी संख्या 8, 9 10 के पक्ष में कोई विकय किया है तो उसने विधि पुर्वक साधिकार संयुक्त परिवार के कर्ता पुरूष की हेसियत से संयुक्त परिवार के कर्जो की आदयगी में रूपये की आवश्यकता होने से प्रतिफल प्राप्त कर विधि पुर्वक विकय किया है एवं उक्त विकय का पूर्ण अधिकार प्रतिवादी संख्या 1 को ही प्राप्त है अगर वादी को कोई एतराज होता तो उक विकय को रूकवा सकता अथवा अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता था अब वादी द्वारा बेईमानी पुर्ण आशय से प्रदिवादी संख्या 1 को जलील व परेशान करने के आशय से विकय हो जाने के बाद झुठा दावा पेश किया है जो खारिज होने योग्य है। वाद पत्र की कलम संख्या 8 का विवरण गलत होकर अस्वीकार है प्रतिवादी संख 1 ने जो भी विकय किया वह संयुक्त परिवार के कर्ता खानदान पुरूष की हेसियत से साधिकार विकय किया जो विकय पारिवारिक कर्जो की आदायगी के लिए आवश्यक था जैसा कि वादी स्वयं वर्णित करता है कि वह भी हिन्दु परिवार का सदस्य है एवं उसे हेसियत से वादी का पिता प्रतिवादी संख्या 1 संयुक्त परिवार का कर्ता पुरूष है तथा उसके द्वारा किये गये किसी भी विकय में विकय पत्र निष्पादित होने के बाद किसी भी सदस्य को कोई आपत्ति नहीं हो सकती अगर संयुक्त हिन्दु अविभक्त परिवार में अपने हक को लेकर कोई आपत्ति है भी सही तो वह पारिवारिक बंटवारा कराकर संयुक्त परिवार से अलग निकलने के बाद ही शेष भुमियों में विभाजन कराकर अपना स्वत्व प्राप्त कर सकता है। वाद पत्र की कलम संख्या 9 का विवरण गलत होकर अस्वीकार है। वादी ने उक्त विकय बाबत् प्रतिवादी संख्या 1 को कभी कोई एतराज नहीं किया है एवं न ही प्रतिवादी संख्या 1 ने इंकार किया बल्कि सभी सदस्यों की मोन स्वीकृति से ही विकय किया गया। अगन वादी को कोई एजराज होता तो वह अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता था अथवा विकय पर स्थगन ओदश जारी करवा सकता था जिससे बिना वाद हेतु के वादी ने वाद पेशकिया है जो चलने योग्य नहीं है। वाद पत्र की कलम संख्या 10 का विवरण गलत होकर अस्वीकार है। वादी को केवल मात्र विकय के बाद शेष भूमियों में

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

ही हिस्से अनुसार हक प्राप्त है जिसकी घोषणा वादी संयुक्त परिवार में रहते नहीं करवा सकता है तथा शेष विवरण अस्पष्ट होने से अस्वीकार है जवाब नहीं दिया जा सकता है। वाद पत्र की कलम संख्या 11 का विवरण गलत होकर अस्वीकार है। जब संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभक्त परिवार की सम्पति में कर्ता पुरूष के अलावा अन्य सदस्य कोई स्वतंत्र अधिकार प्राप्त ही नहीं है तो विभाजन कराने का प्रश्न ही नहीं होता। वाद पत्र की कलम संख्या 12 का विवरण गलत होकर अस्वीकार है। वादी कोई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। वाद पत्र की कलम संख्या 13 का विवरण के जवाब की आवश्यकता नहीं है। वाद पत्र की कलम संख्या 14 का विवरण के जवाब की आवश्यकता नहीं है। वाद पत्र की कलम संख्या 15 का विवरण गलत होकर अस्वीकार है तथा वादी को कोई वाद हेतु उत्पन्न नहीं हुआ है। वाद पत्र की कलम संख्या 16 को विवरण कानुनी है। वाद पत्र की कलम संख्या 17 को विवरण कानुनी है। वाद पत्र की कलम संख्या 18 का विवरण गलत होकर अस्वीकार है। वादी की प्रार्थना है जो मिथ्या होने से अस्वीकार है। साथ ही मजिद जवाब प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी संख्या 1 ने जो संयुक्त हिन्दु परिवार का कर्ता पुरूष होने की वजय से अपने पारिवारिक कर्जो को चुकाने के लिए उसने उक्त जमीन का विकय किया था चुंकी वादी भी उक्त विकय पत्र में जो प्रतिवादी संख्या 8, 9, 10 एवं प्रतिवादी संख्या 11 के पक्ष में किया गया था जो विकय पत्र वादी की जानकारी, सलाह, मशवीरा से किया गया था तथा वादी भी स्वयं उक्त विकय कराने में संयुक्त परिवार का सहयोग करा विकय पत्र स्वयं ने पंजीयन कार्यालय में उपस्थित होकर उसकी मौजुदगी में अपने पिता प्रतिवादी संख्या 1 से करवाया है मात्र लोगों के बहकावे में आने से यह एक झूठा वाद पत्र न्यायालय आपमें पेश किया है जो खारिज होने योग्य है क्योंकि वादी के मन में बदयान्ति आ जाने से उसने उक्त वाद पत्र पेश किया है यदि वादी उक्त रजिस्टर्ड विकय पत्र जो प्रतिवादी संख्या 8, 9, 10 एवं 11 को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा कराये गये विकय पत्र से वादी सहमत नहीं है तो वह सक्षम सिविल न्यायालय में जाकर विकय पत्र निरस्तीकरण की कार्यवाही करवा सकता है वादी इस प्रकार आप न्यायालय में उक्त वाद पत्र प्रस्तुत कर किसी प्रकार की रिलीफ प्राप्त नहीं कर सकता है क्योकि जब तक वादी सिविल न्यायालय से उपरोक्त विकय पत्र निरस्त नहीं करवा लेता तब तक कइस वाद के जरिये वादी कोई दाद प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि जब तक रजिस्टर्ड विकय पत्र विधमान है तब तक किसी प्रकार की खातेदारी अधिकारों की घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा वादी किसी भी सुरत में इस वाद पत्र एवं आप न्यायालय से किसी भी सुरत में प्राप्त नहीं कर सकता है। वादी ने यह जानते हुए भी उक्त वाद पत्र प्रतिवादी के विरूद्ध पेश किया है कि उसे इस वादपत्र के जरिये कोई दाद नहीं मिल सकती है मात्र प्रतिवादीगण को परेशान करने की नियत से यह झूठा वादपत्र प्रस्तुत किया है जो काबिल खारिज होने योग्य है। प्रतिवादी संख्या 1 संयुक्त हिन्दु परिवार का कर्ता पुरूष है तथा उस पर पूरे परिवार की सारी जिम्मेदारीयां, दायित्व, कर्तव्य सभी उस पर निर्भर

शाकि

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने संयुक्त परिवार की भलाई के लिए अपने परिवार को आर्थिक तंगी से बचाने के लिए प्रतिवादी संख्या 8, 9, 10 के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित कराया कि परिवार की सारी समस्या दुर हो जाये और वादी भी अपने वादपत्र में यह स्वीकार करके आया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य है। इस प्रकार वादी ने झूठा दावा न्यायालय आपमें पेश किया है जो खारिज होने योग्य है। अतः प्रार्थना है कि वादी का वाद सव्यय निरस्त फरमाया जावें। प्रतिवादी संख्या 12 पैरोकार सरकार ने अपना जवाब प्रस्तुत किया। तथा प्रतिवादी संख्या 13 ने अपना जवाब प्रस्तु किया कि वादपत्र की कलम संख्या 01 प्रतिवादी संख्या 13 से सम्बन्धित नही होने से जवाब की आवश्यकता नही है। वादपत्र की कलम संख्या 02 के जवाब में ग्राम जीतावास में भूमियॉ स्थित अवश्य है किन्तु उक्त आराजियात प्रतिवादी संख्या 01 के खातेदारी हक से अंकित होने से प्रतिवादी संख्या 01 को उक्त भूमियां रहन, बह, बक्षीस करने का पूर्ण हक अधिकार होने से प्रतिवादी संख्या 01 ने उक्त आराजियात में से 02–00 बीघा भूमि प्रतिफल की राशि 40,000/– रूपये में प्रतिवादी संख्या 01 को अपने निजी घरेलु कार्य में रूपयों की आवश्यकता होने से उसने प्रतिवादी संख्या 13 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से दिनांक 16.03.2009 को विक्रय कर कब्जा प्रतिवादी संख्या 13 को सिपूर्द किया एवं 1603.2009 के पश्चात् से उक्त वर्णित आराजियात में कुल रकबा 04–09 बीघा में से 02–00 बीघा भूमि जिसके पडौस पूर्व में रमेश भाम्बी का, पश्चिम में विधालय का, उत्तर में आम रास्ता, दक्षिण में इसी भूमि का बकाया रकबा के मध्य स्थित है का कब्जा प्राप्त कर प्रतिवादी संख्या 13 क्रय की दिनांक से उक्त 02–00 बीघा भूमि का उपयोग–उपभोग, कृषि कार्य, निरन्तर, निर्विघ्न रूप से करता चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 13 बोनाफाईड प्रचेजर (सद्भाविक केता) है तथा प्रतिवादी संख्या 01 ने साधिकार पूर्वक उसकी स्वयं की भूमि होने से विक्रय की है। वादपत्र की कलम संख्या 03 का विवरण जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। वादपत्र की कलम संख्या 04 का विवरण जिस रूप में वर्णित किया गया उस रूप में गलत होकर अस्वीकार है वाद पत्र की कलम संख्या 02 में वर्णित आराजियात प्रतिवादी संख्या 01 को ही राजी से प्राप्त होने का कथन व ही राजी धुला का छोटा भाई होने का कथन स्वीकार है तथा ही राजी से जो सम्पत्ति प्रतिवादी संख्या 01 को प्राप्त हुई वह सम्पत्ति उसकी स्वयं की स्वअर्जित सम्पत्ति है एवं स्वअर्जित सम्पत्ति को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार प्रतिवादी संख्या 01 को होने से उसने साधिकार प्रतिवादी संख्या 01 ने वादपत्र की कलम संख्या 02 में वर्णित आराजियात में से 02–00 बीघा जमीन प्रतिवादी संख्या 13 को विक्रय की है उक्त भूमि में वादी या दिगर प्रतिवादी संख्या 02 से 07 का किसी प्रकार से कानूनन कोई हक अधिकारी नही है। वादपत्र की कलम संख्या 05 का विवरण जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। वादपत्र की कलम संख्या 06 का विवरण जिस रूप में वर्णित किया गया उस रूप में गलत होकर अस्वीकार है। वाद पत्र की कलम संख्या 02 में वर्णित भूमियां हिन्दु संयुक्त

शेष

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

अविभक्त परिवार की भूमियां नही है। बल्कि वादपत्र की पैरा संख्या 02 में वर्णित आराजियात प्रतिवादी संख्या 01 की स्वअर्जित सम्पत्ति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 02 से 07 का कोई हक, अधिकार नही है। वादपत्र की कलम संख्या 07 का विवरण जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। प्रतिवादी संख्या 13 को जो भूमि प्रतिवादी संख्या 01 ने विक्रय की वह उसकी स्वअर्जित सम्पत्ति है। वादपत्र की कलम संख्या 08 का विवरण प्रतिवादी संख्या 13 से सम्बन्धित नही होने से जवाब की आवश्यकता नही है। आराजी संख्या 1168 रकबा 02–11 बीघा व आराजी संख्या 1169 रकबा 01–18 बीघा कुल किता 02 कुल रकबा 04–09 बीघा भूमि जो प्रतिवादी संख्या 01 की स्वअर्जित सम्पत्ति थी जिसमें से प्रतिवादी संख्या 01 ने 02–00 बीघा भूमि विशिष्ट पडौसो के मध्य वाली जमीन का वर्णन विक्रय पत्र की कलम संख्या 01 में अंकित है को प्रतिवादी संख्या 13 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिये विक्रय की है एवं विक्रय की दिनांक से प्रतिवादी संख्या 13 काबिज होकर काश्त कर रहा है। प्रतिवादी संख्या 13 के विरूद्व वादी एवं प्रतिवादी संख्या 02 से 07 का किसी प्रकार का कोई हक, अधिकार कानूनन नही है। वादी का वाद प्रतिवादी संख्या 13 के मुकाबले खारिज होने योग्य है। वादपत्र की कलम संख्या 09 का विवरण जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। वादपत्र की कलम संख्या 10 का विवरण जिस रूप में वर्णित किया उस रूप में गलत होकर अस्वीकार है। वादपत्र की कलम संख्या 02 में वर्णित भूमियों में प्रतिवादी संख्या 01 का 1/7 हिस्सा होना एवं प्रतिवादी संख्या 02 से 07 का भी 1/7 हिस्सा होना गलत वर्णित किया है जबकि वादपत्र की कलम संख्या 02 में वर्णित भूमियॉ प्रतिवादी संख्या 01 की स्वअर्जित भूमियॉ है जिसे विक्रय, बह, बक्षीस करने का प्रतिवादी संख्या 01 को पूर्ण अधिकार है। वादपत्र की कलम संख्या 11 का विवरण जिस रूप में वर्णित किया उस रूप में गलत होकर अस्वीकार है। वादपत्र की कलम संख्या 02 में वर्णित भूमियॉ प्रतिवादी संख्या 01 की स्वअर्जित सम्पत्तियॉ होने से उक्त आराजी में वादी घोषणा की डिक्री प्राप्त नही कर सकता है एवं न ही विभाजन कर सकता है। वादपत्र की कलम संख्या 12 का विवरण गलत होकर अस्वीकार है वादी कोई निषेधाज्ञा प्राप्त नही कर सकता है। वादपत्र की कलम संख्या 13 व 14 के विवरण में जवाब की आवश्यकता नही है। वादपत्र की कलम संख्या 15 का विवरण गलत होकर अस्वीकार है वादी को कोई वाद हेतुक उत्पन्न नही हुआ है। वादपत्र की कलम संख्या 16 व 17 का विवरण कानूनी होने से जवाब की आवश्यकता नही है। वादपत्र की कलम संख्या 18 का विवरण गलत होकर अस्वीकार है। वादपत्र की कलम संख्या 19 में वर्णित प्रार्थना मिथ्या होने से वादी का वादपत्र खारिज होने योग्य है। अतः प्रार्थना है कि वादी का वाद सव्यय खारिज फरमाया जावें।

अवि

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

दावा एवं जवाबदावें अनुसार पत्रावली में निम्न तनकियात विरचित की गयी :–

1. आया वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से लगातार 06 को स्वर्गीय धुला पिता दल्ला से संयुक्त खातेदारी व आधिपत्य की प्राप्त होने से वादी वादी पत्र की चरण संख्या 01 व 02 में वर्णित भूमियों में 1/7 हिस्सा की खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने का अधिकारी है। जिम्मे वादी
2. आया वादी घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने पर भूमियों का विभाजन कराने का अधिकारी है। जिम्मे वादी
3. आया हिरा पिता दल्ला निसंतान मृत्यु होने से हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम की अनुसूची द्वितीय के अनुसार प्रतिवादी संख्या 01 के उत्तराधिकार में प्राप्त हुई एवं वादी को भी पैतृक भूमियां होने से खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने का अधिकारी है। जिम्मे वादी
4. आया प्रतिवादी संख्या 01 ने जमीन नामी भोप तलाई व कुआ मोरिया व खेत नामी तली पारिवारिक खर्चे के कर्ज अदा करने के लिये विक्रय किया। जिम्मे प्रतिवादी संख्या 01
5. आया वादग्रस्त विक्रय पत्र को सिविल न्यायालय से जब तक निरस्त नही कराया जाता तब तक वादी खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने का अधिकारी नही है। जिम्मे प्रतिवादीगण

वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में गवाह पीडब्ल्यू–01 पन्नालाल स्वयं वादी का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिस पर जिरह पूर्ण हुई तथा दस्तावेजी साक्ष्य वर्तमान जमाबन्दीयों की प्रमाणित प्रतिलिपी प्रदर्श– 01 व 02, भू–प्रबन्ध विभाग की संवत् 2029–30 की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपी प्रदर्श–03, नक्शा ट्रेस की प्रति प्रदर्श–04, विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपी प्रदर्श–05, दुसरे विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपी प्रदर्श– 06 के प्रस्तुत किये गये तथा प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावा एवं मजिद जवाब के समर्थन में गवाह डी डब्ल्यू –01 छोगा, डी डब्ल्यू–02 सोहनलाल, डी डब्ल्यू–03 औंकारलाल के शपथ पत्र प्रस्तुत किये जिन पर जिरह पूर्ण हुई एवं दस्तावेजी साक्ष्य विक्रय पत्र की फोटो प्रति प्रदर्श– डी 01ए के प्रस्तुत किये गये।

वादी एवं प्रतिवादीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता वादी ने निम्न न्यायिक नजीरें RRD 1978 पेज संख्या 375–377, हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के पेज संख्या 52–53, RRD Aug 2005 पेज संख्या 505–509 तथा प्रतिवादीगण अधिवक्ता ने निम्न न्यायिक नजीरें AIR 1995 कर्नाटका पेज संख्या 35, AIR 1992 सर्वोच्च न्यायालय पेज संख्या 1254, AIR 1995 हिमाचल प्रदेश पेज संख्या 92, RBJ (12) 2005 पेज संख्या 33, AIR 2010 सर्वोच्च न्यायालय

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

पेज संख्या 2685, AIR 1997 जयपुर बेंच पेज संख्या 205, AIR 1988 सर्वोच्च न्यायालय पेज संख्या 576 के पेश की। पत्रावली एवं उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया प्रकरण मे विरचित तनकीवार निर्णय निम्नानुसार है :–

1. तनकी संख्या 01 जिम्मे वादी होकर वादी ने उक्त तनकी के समर्थन में वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में गवाह पीडब्ल्यू–01 पन्नालाल स्वयं वादी का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिस पर जिरह पूर्ण हुई तथा दस्तावेजी साक्ष्य वर्तमान जमाबन्दीयों की प्रमाणित प्रतिलिपी प्रदर्श– 01 व 02, भू–प्रबन्ध विभाग की संवत् 2029–30 की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपी प्रदर्श–03, नक्शा ट्रेस की प्रति प्रदर्श–04, विकय पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपी प्रदर्श–05, दुसरे विकय पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपी प्रदर्श– 06 के प्रस्तुत किये गये। जिनका अवलोकन करने पर जाहिर आया कि वादग्रस्त भूमियां वादी की मौरूसी सम्पत्ति है तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में पैतृक सम्पत्ति में समस्त उत्तराधिकारियों का समान हक हिस्सा निहीत है। जिससे उक्त तनकी वादी के पक्ष में सिद्व होती है। अतः उक्त तनकी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।
2. तनकी संख्या 02 जिम्मे वादी होकर तनकी संख्या 01 अनुसार वादी वादग्रस्त भूमि में खातेदार, काश्तकार घोषित किये जाने से विभाजन कराये जाने का अधिकारी होने से तनकी वादी के पक्ष में सिद्व होती है। अतः उक्त तनकी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।
3. उक्त तनकी संख्या 03 जिम्मे वादी होकर वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में गवाह पीडब्ल्यू–01 पन्नालाल स्वयं वादी का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिस पर जिरह पूर्ण हुई तथा दस्तावेजी साक्ष्य वर्तमान जमाबन्दीयों की प्रमाणित प्रतिलिपी प्रदर्श– 01 व 02, भू–प्रबन्ध विभाग की संवत् 2029–30 की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपी प्रदर्श–03, नक्शा ट्रेस की प्रति प्रदर्श–04, विकय पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपी प्रदर्श–05, दुसरे विकय पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपी प्रदर्श– 06 के प्रस्तुत किये गये जिनका अवलोकन करने से जाहिर आया है कि हिरा पिता दल्ला निसंतान मृत्यु होने से हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम की अनुसूची द्वितीय के अनुसार प्रतिवादी संख्या 01 के उत्तराधिकार में प्राप्त हुई न की प्रतिवादी द्वारा स्वअर्जित सम्पत्ति है जिससे वादग्रस्त भूमि पैतृक सम्पत्ति की श्रेणी में आती है। जिससे तनकी भी वादी के पक्ष में सिद्व होती है। अतः उक्त तनकी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।
4. उक्त तनकी जिम्मे प्रतिवादी संख्या 01 के जिम्में होकर उक्त तनकी के समर्थन में के समर्थन में गवाह डी डब्ल्यू –01 छोगा, डी डब्ल्यू–02 सोहनलाल, डी डब्ल्यू–03 औंकारलाल के शपथ पत्र प्रस्तुत किये जिन पर जिरह पूर्ण हुई एवं दस्तावेजी साक्ष्य विकय पत्र की फोटो प्रति प्रदर्श– डी 01ए के प्रस्तुत किये

शादि
सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

गये। जिनका अवलोकन किया गया किन्तु प्रतिवादी ने ऐसा कोई साक्ष्य, सबूत पेश नही किया गया है जिससे यह साबित हो सके कि प्रतिवादी संख्या 01 ने जमीन नामी भोप तलाई व कुआ मोरिया व खेत नामी तली पारिवारिक खर्चे के कर्ज अदा करने के लिये विकय किया हो। जिससे उक्त तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष में सिद्व नही होने से तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती है।

5. उक्त तनकी प्रतिवादीगण के जिम्मे होकर उक्त तनकी के समर्थन में के समर्थन में गवाह डी डब्ल्यू –01 छोगा, डी डब्ल्यू–02 सोहनलाल, डी डब्ल्यू–03 औंकारलाल के शपथ पत्र प्रस्तुत किये जिन पर जिरह पूर्ण हुई एवं दस्तावेजी साक्ष्य विकय पत्र की फोटो प्रति प्रदर्श– डी 01ए के प्रस्तुत किये गये। जिनका अवलोकन किया गया। तनकी संख्या 01 के अनुसार वादग्रस्त भूमि वादी की पैतृक सम्पत्ति है तथा पैतृक सम्पत्ति में हिन्दुउत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत समस्त उत्तराधिकारियों का समान हक हिस्सा निहीत है। तथा प्रतिवादी संख्या 01 ने पैतृक सम्पत्ति में अपने हिस्से से अधिक का विकय कर विधि के विपरित जाकर अन्तरण किया गया है। जिससे उक्त तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष में सिद्व नही होने से तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती है।

अतः उपरोक्त तनकीवार विवेचन के आधार पर वादी अपने वाद को सिद्व करने में सफल रहा है जिससे वादी का वाद बाबत् घोषणा एवं विभाजन का स्वीकार किया जाकर वादी को ग्राम जीतावास के आराजी नम्बर 1599, 1600, 1168, 1169 में 1/7 हिस्से का खातेदार, काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उपरोक्त हिस्से अनुसार पक्षकारान के मध्य मिट्स एण्ड बोण्ड्स पद्वति के आधार पर विभाजन किया जाकर विभाजन योजना दो–दो प्रतियां में पृथक–पृथक रंग भर प्रस्तुत किये जाने हेतु तहसीलदार रेलमगरा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावें। इसी अनुरूप प्रारिम्भक डिक्री पर्चा कायम हो।

निर्णय आज दिनांक 27/09/2017 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(शक्तिसिंह भाटी)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

प्रारम्भिक डिकी

मूल वाद में डिकी (आदेश 20 नियम 6 व 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी :– शक्तिसिंह भाटी, आर0 ए0 एस

राजस्व वाद संख्या :– 111/2010 वाद

वादीपक्ष :–

1. पन्नालाल पिता छोगा बलाई निवासी जीतावास, तह0– रेलमगरा

–: बनाम :–

प्रतिवादीपक्ष :–

1. छोगा पिता धुला बलाई निवासी जीतावास तहसील रेलमगरा
2. ज्ञानी पिता छोगा बलाई निवासी जीतावास हाल निवासी कुरज तहसील रेलमगरा
3. प्रेमी पिता छोगा बलाई निवासी जीतावास हाल निवासी कुरज तहसील रेलमगरा
4. हजारी पिता छोगा बलाई निवासी जीतावास तहसील रेलमगरा
5. माधु पिता छोगा बलाई निवासी जीतावास तहसील रेलमगरा
6. जमना पिता छोगा बलाई निवासी जीतावास तहसील रेलमगरा
7. सनोडी पिता छोगा बलाई निवासी जीतावास तहसील रेलमगरा
8. शान्ता बाई पत्नि हजारी बलाई निवासी जीतावास तहसील रेलमगरा
9. भगुबाई पत्नि माधु बलाई निवासी जीतावास तहसील रेलमगरा
10. पुष्पा बाई पत्नि जमनालाल बलाई निवासी जीतावास तहसील रेलमगरा
11. सुन्दर देवी पत्नि रतनलाल खटीक निवासी जीतावास तहसील रेलमगरा
12. ओंकार लाल पिता गंगाराम बलाई निवासी कुंवारिया तहसील राजसमन्द।
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा।

दावा :– खातेदारी अधिकारों की घोषणा विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा
वादी की ओर से :– अधिवक्ता– सी0एस0 शक्तावत
प्रतिवादी की ओर से :– अधिवक्ता– आर0एल0 साहू

में इस आशय में दिनांक 27/09/2017 की न्यायालय के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है ओर डिकी दी जाती है कि तनकीवार विवेचन के आधार पर वादी अपने वाद को सिद्व करने में सफल रहा है जिससे वादी का वाद बाबत् घोषणा एवं विभाजन का स्वीकार किया जाकर वादी को ग्राम जीतावास के आराजी नम्बर 1599, 1600, 1168, 1169 में 1/7 हिस्से का खातेदार, काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उपरोक्त हिस्से अनुसार पक्षकारान के मध्य मिट्स एण्ड बोण्ड्स पद्वति के आधार पर विभाजन किया जाकर विभाजन योजना दो–दो प्रतियां में पृथक–पृथक रंग भर प्रस्तुत किये जाने हेतु तहसीलदार रेलमगरा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावें।

आज दिनांक 27/09/2017 को न्यायालय की मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गयी।

(शक्तिसिंह भाटी)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

न्यायालय सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी – शक्तिसिंह भाटी, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या :– 111/2010
दायर दिनांक :– 17/02/2010
निर्णय दिनांक :– 09/05/2018

अनवान

1. पन्नालाल पिता जोधा बलाई निवासी जीतावास, तह0 रेलमगरा

वादी

बनाम

1. छोगा पिता धुला बलाई निवासी जीतावास, तह0 रेलमगरा
2. ज्ञानी पिता छोगा पत्नि दलीचन्द बलाई निवासी जीतावास हाल कुरज तह0 रेलमगरा
3. प्रेमी पिता छोगा पत्नि बंशीलाल बलाई निवासी जीतावास हाल कुरज तह0 रेलमगरा
4. हजारी पिता छोगा बलाई निवासी जीतावास तह0 रेलमगरा
5. माधुलाल पिता छोगा बलाई निवासी जीतावास तह0 रेलमगरा
6. जमनालाल पिता छोगालाल बलाई निवासी जीतावास तह0 रेलमगरा
7. सनोडी पिता छोगालाल बलाई निवासी जीतावास तह0 रेलमगरा
8. शान्ताबाई पत्नि हजारीलाल बलाई निवासी जीतावास तह0 रेलमगरा
9. भगुबाई पत्नि माधुलाल बलाई निवासी जीतावास तह0 रेलमगरा
10. पुष्पाबाई पत्नि जमनालाल बलाई निवासी जीतावास तह0 रेलमगरा
11. सुन्दरदेवी पत्नि रतनलाल खटीक निवासी जीतावास तह0 रेलमगरा
12. राजस्थान राज्य जरिये भुमिधारक तहसीलदार रेलमगरा
13. उंकारलाल पिता गंगाराम बलाई निवासी कुंवारिया तह0 राजसमन्द

प्रतिवादीगण

वाद बाबत् विभाजन

वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद बाबत् विभाजन के प्रस्तुत किया कि ग्राम जीतावास के आराजी संख्या 1599, 1600, 1168, 1169 किता – 04 रकबा 08–08 बीघा भूमि का पक्षकारान के मध्य विभाजन किया जावें। जिस पर पालना हेतु तहसीलदार रेलमगरा को लिखा गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार–2018 के तहत ग्राम पंचायत जीतावास पर आयोजित शिविर में रखी गयी। तहसीलदार रेलमगरा द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाकर प्रस्तुत किया गया। वादी ने उपस्थित होकर प्राप्त विभाजन योजना पर सहमति व्यक्त की गयी। शेष प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे। अतः वादी का वाद बाबत् विभाजन का स्वीकार किया जाकर पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार विभाजन किया जाता है :–

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

क.स.	नाम खातेदार	आराजी संख्या	रकबा	लगान
1.	पन्नालाल पिता छोगालाल बलाई सा. देह खातेदार	1168/2 1169/1 1599 मीन 1600 मीन	00–07–00 00–06–00 00–05–00 00–06–00	0.21 0.21 1.38 1.65
	योग	किता –04	01–04–00	3.45
2.	छोगालाल पिता धुला बलाई सा.देह खातेदार	1599/1 1600/1	01–13–00 01–15–00	9.07 9.62
	योग	किता –02	03–08–00	18.69
3.	छोगालाल मुतबना हीरा बलाई सा. देह खातेदार	1168 मीन 1168/1 1169 मीन	01–11–00 00–13–00 01–12–00	1.08 0.46 1.12
	योग	किता –03	03–16–00	2.66

उपरोक्तानुसार पक्षकारान के राजस्व रेकार्ड में पृथक–पृथक अंकन किया जावें तथा विभाजन प्रस्ताव निर्णय का जूज हिस्सा रहेगा। पूर्वानुसार रहन यथावत रखा जावें। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावें। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 09/05/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर कैम्प कोर्ट पर सुनाया गया।

(शक्तिसिंह भाटी)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

मूल वाद मे डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द
पीठासीन अधिकारी :– शक्ति सिंह भाटी आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या :– 111/2010

अनवान

वादी पक्ष :–

1. पन्नालाल पिता जोधा बलाई निवासी जीतावास, तह0 रेलमगरा

बनाम

प्रतिवादीपक्ष :–

1. छोगा पिता धुला बलाई निवासी जीतावास, तह0 रेलमगरा
2. ज्ञानी पिता छोगा पत्नि दलीचन्द बलाई निवासी जीतावास हाल कुरज तह0 रेलमगरा
3. प्रेमी पिता छोगा पत्नि बंशीलाल बलाई निवासी जीतावास हाल कुरज तह0 रेलमगरा
4. हजारी पिता छोगा बलाई निवासी जीतावास तह0 रेलमगरा
5. माधुलाल पिता छोगा बलाई निवासी जीतावास तह0 रेलमगरा
6. जमनालाल पिता छोगालाल बलाई निवासी जीतावास तह0 रेलमगरा
7. सनोडी पिता छोगालाल बलाई निवासी जीतावास तह0 रेलमगरा
8. शान्ताबाई पत्नि हजारीलाल बलाई निवासी जीतावास तह0 रेलमगरा
9. भगुबाई पत्नि माधुलाल बलाई निवासी जीतावास तह0 रेलमगरा
10. पुष्पाबाई पत्नि जमनालाल बलाई निवासी जीतावास तह0 रेलमगरा
11. सुन्दरदेवी पत्नि रतनलाल खटीक निवासी जीतावास तह0 रेलमगरा
12. राजस्थान राज्य जरिये भुमिधारक तहसीलदार रेलमगरा
13. उंकारलाल पिता गंगाराम बलाई निवासी कुंवारिया तह0 राजसमन्द

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

दावा :– विभाजन
वादी की ओर से :– चावण्ड सिंह शक्तावत
प्रतिवादी की ओर से :–मदन लाल सालवी

में इस आशय मे दिनांक 09/05/2018 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिकी दी जाती है कि अतः वादी का वाद बाबत् विभाजन का स्वीकार किया जाकर ग्राम जीतावास के आराजी संख्या 1599,1600,1168,1169 किता –04 कुल रकबा 08–08 बीघा का पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार विभाजन किया जाता है :–

क.स.	नाम खातेदार	आराजी संख्या	रकबा	लगान
1.	पन्नालाल पिता छोगालाल बलाई सा. देह खातेदार	1168/2 1169/1 1599 मीन 1600 मीन	00–07–00 00–06–00 00–05–00 00–06–00	0.21 0.21 1.38 1.65
	योग	किता –04	01–04–00	3.45
2.	छोगालाल पिता धुला बलाई सा.देह खातेदार	1599/1 1600/1	01–13–00 01–15–00	9.07 9.62
	योग	किता –02	03–08–00	18.69
3.	छोगालाल मुतबना हीरा बलाई सा. देह खातेदार	1168 मीन 1168/1 1169 मीन	01–11–00 00–13–00 01–12–00	1.08 0.46 1.12
	योग	किता –03	03–16–00	2.66

उपरोक्तानुसार पक्षकारान के राजस्व रेकार्ड में पृथक–पृथक अंकन किया जावें तथा विभाजन प्रस्ताव निर्णय का जूज हिस्सा रहेगा। पूर्वानुसार रहन यथावत रखा जावें। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

आज दिनांक 09/05/2018 को मेरे हस्ताक्षर एवम मोहर से जारी की गई।

(शक्ति सिंह भाटी)
सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा